कानूनी सहायता विभाग

अगर आप अपने जीवनसाथी द्वारा किये गये अत्याचार से पिड़ित है तो आप दीवानी अपील करने के लिए एल ए डि से कानूनी सहायता सेवा के लिए निवेदन कर सकते है। आप अदालत से गैर-छेड़छाड आदेश, बेदखल करने के आदेश, या निषेधाज्ञा जहाँ उपयुक्त हो या फिर अगर इच्छा हो तो तलाक केलिए निवेदन कर सकते है। कानूनी सहायता योग्य होने के लिए आपको माध्यम व योग्यता परीक्षणों दोनों में सफल होना होगा। गैर- छेड़खाना आदेश, बेदखल आदेश या निषेधाज्ञा इत्यादि केलिए कानून सहायता केलिए तत्काल निवेदन देने के लिए एल ए डि माध्यम परिक्षण या बयान लेने के लिए जल्द से जल्द एक साक्षात्कार का व्यवस्था करेगा।

हाँग-काँग पुलिस बल

घरेलू हिंसा से संबंधित सभी शिकायतों व प्रतिवेदन को नियंत्रित व निरीक्षण हाँग-काँग पुलिसबल द्वारा किया जायेगा। सामान्य परिस्थितियों में पुलिस हाँटलाइन 2527 7177, किसी भी पुलिस स्टशनों पर फोन कर या फिर सीधे पुलिस अधिकारी को शिकायत की जा सकती है। आपातकालीन स्थिति में, सार्वजनिक हाँटलाइन “999” में मदद के लिए डायल कर सकता है। पिड़ितों और सूचना देनेवालों के बारे में जानकारी को गोपनीय रखा जायेगा।

अपराध अध्यादश (कैप.200) और व्याक्तियों के खिलाफ अपराध अध्यादेश (कैप २१२) कर अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जीवनसाथी सहित किसी भी अन्य व्यक्ति को गंभीर शारीरिक नुकसान पहूँचाता है या धमकी देता है वह एक अपराध करता है और उसे जेल की सजा दी जायेगी।

▪ Major Enquiry Hotlines मुख्य पूछताछ हाँटलाइन ▪

Social Welfare Department समाज कल्याण विभाग	Telephone Number टेलिफोन नम्वर
SWD Hotline	2343 2255
Family and Child Protective Services Unit (Central, Western, Southern and Islands)	2835 2733
Family and Child Protective Services Unit (Eastern and Wanchai)	2231 5859
Family and Child Protective Services Unit (Kwun Tong)	2707 7681
Family and Child Protective Services Unit (Wong Tai Sin and Sai Kung)	3188 3563
Family and Child Protective Services Unit (Sham Shui Po)	2247 5373
Family and Child Protective Services Unit (Kowloon City and Yau Tsim Mong)	3583 3254
Family and Child Protective Services Unit (Shatin)	2158 6680
Family and Child Protective Services Unit (Tai Po and North)	2158 6696
Family and Child Protective Services Unit (Tuen Mun)	2618 5710
Family and Child Protective Services Unit (Tsuen Wan and Kwai Tsing)	2940 7350
Family and Child Protective Services Unit (Yuen Long)	2445 4224
Family Crisis Support Centre पारिवारिक संकट सहायता केन्द्र	
Family Crisis Support Centre 24-hour Hotline	18 288
CEASE Crisis Centre 24-hour Hotline	18 281
Others अन्य	
Hong Kong Police Force हाँग-काँग पुलिस बल	
Emergency Hotline	999
Legal Aid Department कानूनी सहायता विभाग	
Hotline	2537 7677

बाल दर्व्यवहार, पति/पत्नी की मारपिट और यौन हिंसा पिड़ित लोगों के लिए सहायता पर वेबसाइट
http://victimsupport.swd.gov.hk

This leaflet is available in the following languages:

1. Chinese
2. English
3. Tagalog
4. Indonesia
5. Thai
6. Hindi
7. Nepali
8. Sinhalese
9. Urdu

ये अनुवाद समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट
http://www.swd.gov.hk/ पर उपलब्ध किए गए है।

शीघ्र सहायता प्राप्त करें पारिवारिक हिंसा रोकें

हिंसा के शिकार पुरुषों के लिए सेवाएँ

Seek Early Assistance Stop Family Violence Services for Battered Men

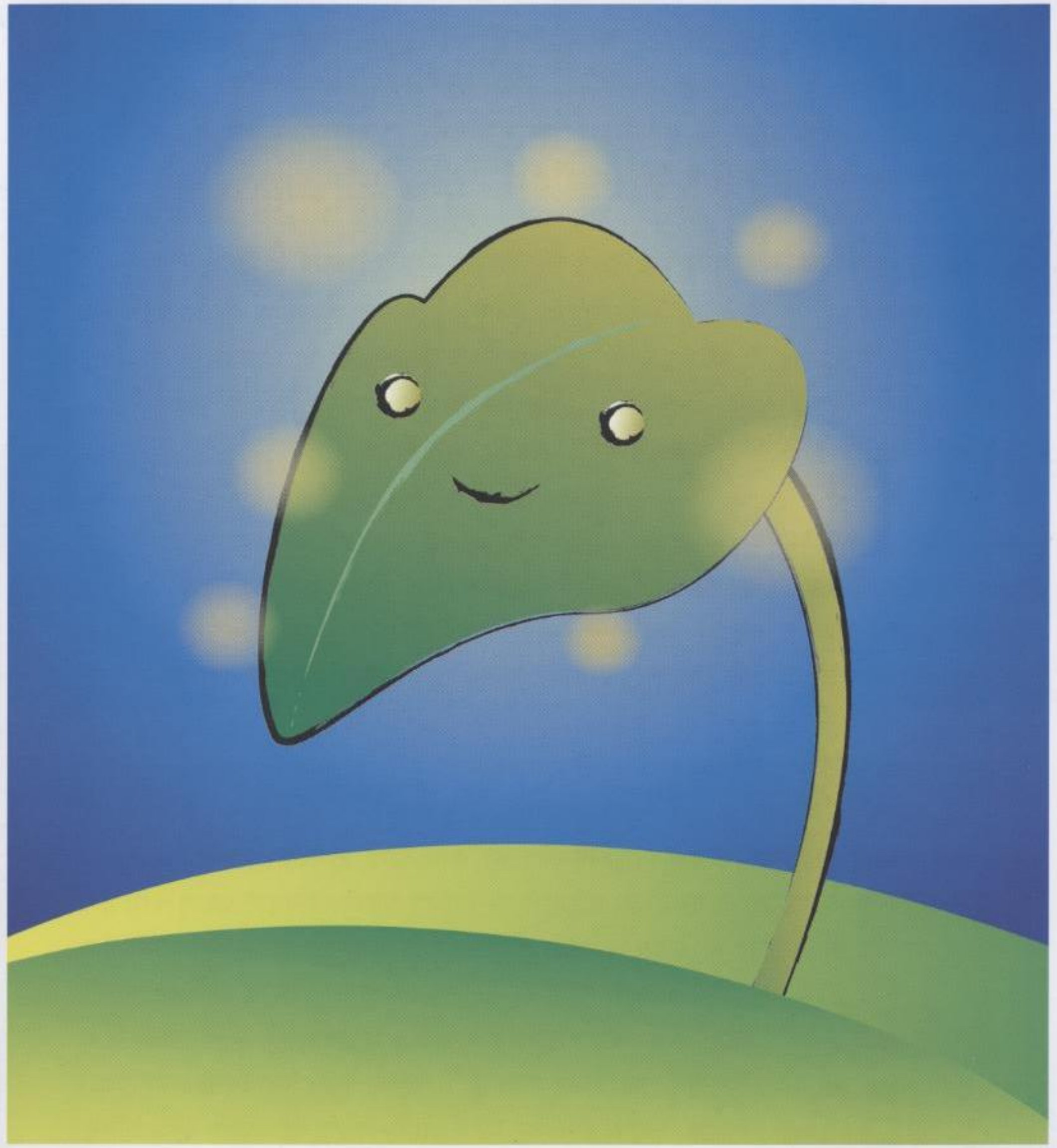

Hindi / 印度文

February 2009

社會福利署
Social Welfare Department

शीघ्र सहायता प्राप्त करें

विभिन्न कारणों से, न केवल महिलाएँ पुरुष भी अपने जीवनसाथी या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा दुरव्यवहारका शिकार हो सकता है। दुसरी ओर, पारिवारिक से परिवार के प्रत्येक सदस्य पर बुरा प्रभाब पड़ता हैं। इसलिए, अगर आप पारिवारिक हिंसा का सामना कर रहे हैं तो अपने और अपने परिवार के सदस्यों की भलाई के लिए, कृपया समाज कल्याण विभाग के परिवार और बाल सुरक्षा सेवा एकांशों मे सम्पर्क करें या समाज कल्याण विभाग की हॉटलाइन डायल करें। समय पर सहायता मांगने से पारिवारिक हिंसा को रोकने में मद्दत मिलती है।

हिंसा के शिकार पुरुष किस से सहायता मागँ सकते हैं ?

हाँग-काँग में पीड़ितो को (बिना किसी लिंगभेद के) एक श्रृंखला सेवाएँ प्रदान की जाती है। एस डब्लु डी के माध्यम से शोषण करने या परिवारिक जीवनसाथी के मामलों से सम्बधित अत्याचारों पर गैर सरकारी संगठनों, पुलिस और कानूनी सहायता विभाग इत्यादि द्वारा आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जाती है।

हाँट-लाइन सेवाएँ

आप कल्याण सेवाओं और समय पर उचित सलाह के विषय सें जानकारी प्राप्त करने के लिए हाँट-लाइन लाइन सवाओं का उपयोग कर सकते है। इस हाँट-लाइन सेवाओं पर समाज सेवक या सवयंसेवक तैनात रहते है या फिर यह कॉल स्थानान्तरण प्रणाली द्वारा चलायी जाती है।

परिवार र बाल सुरक्षा सेवा एकांश

एस डब्लु डी के परिवार व बाल सुरक्षा सेवा एकाशों के विशेषीकृत एकाशो पर समाज सेवक काम करते है जो पीड़ितो (बिना किसी लिंगभेद के), अत्याचारों, बालशोषण और जीवनसाथी के साथ हिंसा के मामलों से सम्बन्धित परिवारों को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान करते हैं। इन मामलों की जरुरतों को ध्यान में रखते हुए, संकट के समय में मध्यस्थता, सामाजिक निरीक्षण, मामलों के संबंध में परामर्श और सामूहिक उपचार इत्यादि प्रदान करेंगें। यह अदालत के आदेशो के अनुसार बच्चों के लिए सांविधिक निंगरानी भी प्रदान करते हैं। जरूरत पड़ने पर वित्तीय सहायता, आवास, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह और शिक्षा प्रबंध केलिए परामर्श दिये जायेंगें। इसके अलावा, बच्चों को हिरासत या संरक्षकता विवादों से प्रभावित बच्चों के हितों की रक्षा करने के अतिरिक्त (एफ सी पी एस यू एस) अदालत के आदेशानुसार सामाजिक निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेंगें और उन बच्चों का देखरेख किया जायेंगा जिन्हें देखभाल की आवश्यकता होगी।

एकीकृत परिवार सेवा केन्द्र

एस डब्लु डी और गैर सरकारी संस्थानो द्वारा चलाये जा रहे एकीकृत परिवार सेवा केन्द्र जरूरत मंद व्यक्तियों व परिवारों को निरोधक, सहायक और उपचारात्मक सेवाएँ प्रदान करते हैं। सेवाओ का एक सरणी जो पारिवारिक जीवन शिक्षा, माता-पिता- बच्चों की गतिविधियाँ, पुछताछ सेवा, स्वयंसेवक प्रशिक्षण, पहूँच सेवा, परस्पर सहायता समूह, मामलों पर कार्य करने के संबंध में परामर्श इत्यादि शामिल है। इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत मामलों जरुरतों के आधार पर समाज सेवक अन्य सेवाओं जैसे सामाजिक सहायता या घरेलू देखभाल सेवाएँ, वित्तीय सहायता, मनोवैज्ञानकि सेवा, रोजगार सेवा इत्यादि केलिए सिफ़ारिस भी करेंगें।

अस्थायी निवास सेवाएँ

परिवार संकट सहायता केन्द्र

कारितास- हाँग-काँग द्वारा संचालित परिवार संकट सहायता केन्द्र (एफ सि एस सि) ने पीडित पुरुषों सहित उन सभी लोगों को जो अत्याधिक चिंता या संकट का सामना कर रहे है, अपनी भावनाओं को नियत्रण करने और पारिवारिक समस्याओं के लिए सकारात्मक समाधान की तलाश के लिए अवकाशकाल सुविधा और एक एकीकृत सेवा पैकेज प्रदान करता है। एफ सि एस सि द्वारा प्रदान की जानेवाली सेवाओं में वधुकालिन (अल्पकालिन) आवास, २४ घंटे की हॉटलाइन सेवा, संकट में मध्यस्थता/सहायता/उपचार/परामर्श समूह, संसाधनक्रम और दैनिक शिक्षा कार्यक्रमों, पहूँच सेवाएँ और सामूहिक शिक्षा इत्यादि शामिल है। एफ सि एस सि किसी भी संस्थान द्वारा सीधे आवेदन या सिफ़ारिशि स्वीकार करता है यदि जरूरत हो तो अपने साथ अपने बच्चों को भी एफसिएससि में ला सकते हैं।

अविवाहित व्यक्तियो के लिए अस्थायी आवास (शरण) शहरी छात्रावास

अगर (यदि) अस्थायी आवास की आवश्यकता है तो आप सामाजिक कार्यकर्ताओं की सिफ़ारिश के माध्यम से अविवाहित व्यक्तियों के लिए बनाये गये शहरी छात्रावास मे जा सकते है। आप सीधे या सामाजिक कार्यकर्ताओं की सिफ़ारिस के माध्यम से भी अस्थायी आश्रय जा सकते है। शहरी छात्रावास अविवाहित व्यक्तियों के लिए अल्पकालिक आवास और जरुरतमंदों को दीर्घकालिक आश्रय प्राप्त करने के लिए परामर्श प्रदान करता है। आप अधिक जानकारी के लिए संबंधित सामाजिक कार्यकर्ता, एफ सि एस सि के हाँटलाइन या एस डब्लु डी के हाँटलाइन पर सम्पर्क कर सकते है।

संवेक्षाशील पुर्नवास

संवेक्षाशील पुर्नवास एक प्रकार की आश्रय सहायता है जिससे उन व्यक्तियों और परिवारों की मदद की जाती है जिन्हें असल में और शीघ्र आश्रय की जरूरत है परन्तु वे स्वयं इसे पूरी नहीं कर सकते इस योजना के अन्तर्गत उन लोगों की मदद करने के लिए उन्हें सशर्त (नियमबद्ध) किरायेदारी की भी सलाह दी जा सकती है जिनके तलाक की कार्यवाही चल रही है (जीवनसाथी द्वारा अत्याचार से पिड़ित इसमें शामिल हैं) वे जिन्हें उनके तलाक निवेदनों पर अदालत के निर्णय का प्रतिक्षा करते हुए वास्तविक आश्रय की आवश्यकता है। जिन लोगों को इस सेवा की आवश्यकता हो वे संबंधित समाज सेवक से निवेदन कर सकता है।

नैदानिक (रोग-विषयक) मनोविज्ञान एकांश

यदि आप भावनात्मक (मनोवैज्ञानिक) रूप से परेशान है तो आप परिवार और बाल सुरक्षा सेवा एकांश या एकीकृत परिवार सेवा केन्द्रों में जैदानिक मनोवैज्ञानिक सेवा के लिए सिफारिशि हेतु जा सकते है। नैदानिक मनोवैज्ञानिक आपकी जरूरत के आधार पर आपको व्यक्तिगत परामर्श या समूह चिकित्सा प्रदान करते हैं।

कोषीय सामाजिक सुरक्षा एकांश

इस व्यापक सामाजिक सुरक्षा सहायता (सि एस एस ए) योजना जरुरत हुवे लोगों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान के लिए बनायी गयी हैं। इसके योग्य हुने के लिए यह आवश्यक है कि वेदक न्यूनतम सात साल से हाँग-काँग में रह रहा हो और निवेदन से ठीक पहले कम से कम एक साल तक लगातार हाँग-काँग में रह रहा हो। विशिष्ट परिस्थितियों में समाज कल्याण निवेदन को भी मदद दी जा सकती है जो निर्धारित आवास आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। अगर आप सि एस एस ए के लिए निवेदन करना चाहते है तो आप सिफ़ारिशि हेतु समाज सेवक या एस डब्लु डी के कोषीय सामाजिक सुरक्षा एकांशों से सम्पर्क कर सकते हैं।